

24 12/2020

दिनांक

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। हरिश बोदरा, पिता-स्व० दिकु बोदरा, ग्राम-तमाड़बाँध, थाना-मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- 125, खाता न०- 13, प्लॉट न०- 250, रकवा- 0.05एकड़ भूमि क्रेता शीला बिरुवा, पति-अचिन्त लाल बिरुली ग्राम-तिरीलबुटा, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की माँग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1285, दिनांक 19.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। पक्का मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता शीला बिरुवा, पति-अचिन्त लाल बिरुली, ग्राम-तिरीलबुटा, थाना-मुफसिल, चाईबासा के पास 3,50,000.00/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 3.00 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता हरिश बोदरा, पिता-स्व० दिकु बोदरा, ग्राम-तमाड़बाँध, थाना- मुफसिल जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- 125, खाता न०- 13, प्लॉट न०- 250, रकवा-0.05एकड़ भूमि को क्रेता शीला बिरुवा, पति-अचिन्त लाल बिरुली ग्राम-तिरीलबुटा, थाना- मुफसिल, चाईबासा जिला- पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।